O/o CE (EITC)
Receipt No. 1166
Date 25 MAY 2019
DGM (IT) / SE (O)
EE........
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री व्ही.के.साय, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574925

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –02/2019/1457 रायपुर, दिनांक 24 MAY 2019

श्री पल्ले ताम्रकार
आर.टी.आई. कार्यकर्ता
दुर्गा मेडिकोज
तमेरपारा, दुर्ग (छ.ग.)

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्रीमती सरोज तिवारी
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)
छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.क.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 23.05.2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री पल्ले ताम्रकार की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.), छ0ग0स्टे0पॉ0डि0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 02/2019 दिनांक 20.03.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री पल्ले ताम्रकार द्वारा आवेदन दिनांकित 10.01.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से श्री योगेश्वर कोसरिया, वरिष्ठ लेखाधिकारी के स्थानांतरण के संबंध में बिन्दुवार निम्नलिखित जानकारी चाही गई थी :–

1. राज्य चुनाव आयोग की निरस्तीकरण बाबत् अनुशंसा की प्रति।
2. संबंधित सभी कार्यालयों की कार्यालयीन टीप, अनुशंसा, सिफारिश, आवेदन की प्रति।

किन्तु जनसूचना अधिकारी के द्वारा आधी–अधूरी जानकारी उपलब्ध कराये जाने का लेख करते हुए असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.03.2019 को प्रथम अपील आवेदन (पंजीयन शुल्क सहित) प्रस्तुत किया है एवं नियमानुसार सही जानकारी उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया है।

(3) उक्त दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 1103 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 22.04.2019 को सांय 4.30 बजे व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री पल्ले ताम्रकार को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर इस आशय के साथ सूचित किया गया कि यदि वे चाहें तो स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि को उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी।

अतएव दोनों ही पक्षों को प्रकरण पर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई पुनः दिनांक 06.05.2019 को सायं 4.00 बजे निर्धारित की गई। जिसकी सूचना अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को नोटिस पत्र क्रमांक 1175 दिनांक 25.04.2019 के माध्यम से दी गई, निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी।

अपीलार्थी श्री पल्ले ताम्रकार द्वारा दिनांक 09.05.2019 को दूरभाष के माध्यम से यह निवेदन किया गया कि उन्हें प्रथम अपील प्रकरण पर पक्ष रखने हेतु पुनः अवसर दिया जाये जिसे स्वीकार कर, उक्त अपील पर अपीलार्थी को पक्ष रखने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की सुनवाई पुनः दिनांक 20.05.2019 को सायं 4.30 बजे निर्धारित की गई। जिसकी सूचना अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को नोटिस पत्र क्रमांक 1316 दिनांक 08.05.2019 के माध्यम से दी गई, निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित रहे। तदुपरांत प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(5)(i) सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी कुल 23 पृष्ठों में है, अतएव कार्यालयीन पत्र क्रमांक 306 दिनांक 30.01.2019 द्वारा आवेदक को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत रूपये 2/–प्रतिपृष्ठ की दर से 23 छायापृष्ठों हेतु कुल 46/– रूपये का अभिलेख/दस्तावेज शुल्क भुगतान करने बाबत् निर्धारित समयावधि के भीतर सूचित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान किये जाने के उपरांत उन्हें कुल 23 छायापृष्ठों की जानकारी पत्र क्रमांक 585 दिनांक 22.02.2019 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

(ii) अपीलार्थी का प्रमुख अपील तर्क यह है कि विधान–सभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू रहते हुए श्री योगेश्वर कोसरिया, वरिष्ठ शीघ्रलेखक के स्थानांतरण को निरस्त करने संबंधी निर्वाचन आयोग की अनुमति संबंधी दस्तावेज एवं कार्यपालक निदेशक (वित्त) रायपुर की टीप नहीं होने पर भी स्थानांतरण निरस्त करने पर आपत्ति व्यक्त किये जाने संबंधी दस्तावेज तथा श्री कोसरिया के आवेदन में उल्लेखित माता के उपचार से संबंधित दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराये गये है, जो उन्हें प्रदान की जावे।

(iii) उक्ताशय के प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कंडिका 02/टीप में वांछित बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षेत्र) छ.ग. स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि, दुर्ग के कार्यालयीन टीप पर स्थानांतरण निरस्त करने हेतु प्रबंध निदेशक (डिस्ट्री0) से अनुमोदन प्राप्त होने के परिप्रेक्ष्य में प्रसारित आदेश तथा प्रकरण से संबंधित कार्यालयीन अभिलेखों में उपलब्ध समस्त दस्तावेज अपीलार्थी को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। अतएव वर्तमान में अपीलार्थी को अन्य कोई जानकारी उपलब्ध कराया जाना शेष नहीं है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 5(i)/टीप में जो जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, वह उचित प्रतीत होती है एवं कंडिका 5(iii)/टीप में दिये गये प्रत्युत्तर, अपीलार्थी की शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं, जो तर्कसंगत हैं। **अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही न्याय संगत व स्वीकार योग्य है।**

जहाँ तक कंडिका क्रमांक 05 (ii) का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत हो कि अपीलार्थी को कार्यालयीन अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जा चुकी है एवं साथ ही **भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के संख्या 1/18/2011–आई–आर दिनांक 16.09.2011 के ज्ञापन में निर्दिष्ट मार्गदर्शिका के अनुसार " मात्र ऐसी सूचना की ही इस अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण के अधीन धारित हो। लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने अथवा सूचना की व्याख्या करने अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की उम्मीद नही की जाती है।"**

इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह पूर्णतः स्वीकार योग्य है एवं जिस पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

उपरोक्तानुसार अपील प्रकरण **(पंजीयन क्रमांक 02/2019 दिनांक 20.03.2019)** को अस्वीकार कर, एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(व्ही.के.साय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574925

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –02/2019/ 1458 रायपुर, दिनांक 24 MAY 2019

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0), छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री पल्ले ताम्रकार, आर.टी.आई. कार्यकर्ता, दुर्गा मेडिकोज, तमेरपारा, जिला–दुर्ग, (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

(व्ही.के.साय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574925